गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 169वीं बैठक दिनांक 11.12.2023 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
15.	डॉ0 एस. श्वेता	सदस्य
16.	प्रो0 व्ही.एस. राठौड़	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :–

1. डॉ0 बबीता माझी

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। कुलपति महोदय ने बैठक कार्यवाही प्रारंभ के पूर्व अपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे का सहयोग करने तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिल–जुल कर आपसी सहयोग से कार्य करने हेतु प्रेरित किया तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 168वीं बैठक दिनांक 14.11.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

11/12/2023

11/12/23

विषय क्र. 03. अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 29.11.2023 में किये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन करने पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 29.11.2023 में किये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

विषय क्र. 04. अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 28.11.2023 में किये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन करने पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 28.11.2023 में किये गये अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जाय एवं अनुशंसानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय एवं दिशा निर्देश जारी किये जाय।

विषय क्र. 05. अध्ययन मंडल प्रबंध अध्ययन विभाग की बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा Proposed Modifications पाठ्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मंडल प्रबंध अध्ययन विभाग की बैठक दिनांक 19.10.2023 द्वारा Proposed Modifications पाठ्यक्रम का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना प्रभावी अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 06. बायो मेडिकल वेस्ट नियम के अंतर्गत बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल के संबंध में विचार करना।

निर्णय :– विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत विषय को स्थगित किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरणों पर विचार

अ.अ.वि.क्र.1 बैठक के दौरान शोध प्रवेश परीक्षा विज्ञापन संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई तथा यह सूचना प्रदान किया गया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ऑन लाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को दिनांक 23.12.2023 तक आगे बढ़ाया गया है।

स्थायी समिति ने तिथि परिवर्तन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

अ.अ.वि.क्र.2 स्थायी समिति के समक्ष प्रबंध अध्ययन विभाग के अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 19.10.2023 में एनईपी के संबंध में लिये गये निर्णय प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

11/12/2023

11/12/23

अ.अ.वि.क्र.3 स्थायी समिति के समक्ष शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्र18–2/2023–सीयू–1/इएफटीएस 3220261 दिनांक 05.12.2023 प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ विधेयन को ई–गजट में प्रकाशन हेतु कुलसचिव को नोडल अधिकारी बनाये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये है, प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्राप्त निर्देशानुसार कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अधीनस्थ विधेयन के ई–गजट में प्रकाशन हेतु नोडल अधिकारी रहेंगे।

अ.अ.वि.क्र.4 स्थायी समिति के समक्ष बालिका रिसर्च छात्रावास क्रमांक–1 में निवासरत् छात्राओं द्वारा कॉपरेटिव मेस व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया।

स्थायी समिति ने सूचना ग्रहण करते हुए कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

अ.अ.वि.क्र.5 स्थायी समिति के समक्ष अन्य विश्वविद्यालयों से या शैक्षणिक संस्थाओं से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नव नियुक्त हो रहे शिक्षकों एवं उनके द्वारा किये जा रहे शोध कार्यों के संबंध में चर्चा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थाओं से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में नव नियुक्त हुए शिक्षक अपने पूर्व संस्थान के शोधार्थियों को शोध कार्य कराने के लिए यदि अनापत्ति/अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते है तो ऐसे आवेदनों का निराकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के शोध विनियम 2023 के पैरा–6(1) के निम्नानुसार प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा–

"उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जिन्होंने पीएच.डी. प्राप्त करने के साथ पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम पांच शोध प्रकाशित किए हैं और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले स्थायी संकाय सदस्य जो पीएच.डी. उपाधि धारक हो तथा जिसके द्वारा पीयर–रिव्यू या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम तीन शोध प्रकाशन प्रकाशित किए गए हों उन्हें विश्वविद्यालय अथवा इसके संबद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत है। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हो सकते हैं, पर वहां वे केवल सह–पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकते है।"

नव नियुक्त शिक्षक ने यदि पूर्व नियोक्ता संस्थान में कार्यरत् रहते हुए शोधार्थियों को निर्देशन प्रदान करते हुए शोध ग्रंथ जमा करा लिया है तो ऐसे शिक्षक उक्त शोध ग्रंथ के परीक्षण या अन्य कार्यों में पूर्व के शोधार्थी को आवश्यक सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

11/12/23 11/12/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**